निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या - **01** वर्ष **2017-18** यह निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून के माह **0**4/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एंव श्री शैलेन्द्र पाण्डेय, व.ले.प. द्वारा दिनांक 17.04.2017 से 20.04.2017 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव **,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक **:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री-राम सनेही एंव एस. के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.04.2015 से 28.04.2015 तक पी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखण्ड

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(राशि रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	173.70	167.25	63.55	57.7	-	-
2015-16	-	-	188.35	173.76	346.80	315.61	-	-
2016-17	-	-	234.30	206.89	408.32	389.54	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय वितरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

1. राजस्व विभाग की विभागीय संरचना

↓

मा0 राजस्व मंत्री

↓

प्रमुख सचिव/सचिव

↓

अपर सचिव

↓

उप सचिव

↓

अनु सचिव

↓

राजस्व परिषद् का संगठन

↓

1. अध्यक्ष राजस्व परिषद्

2. आयुक्त एवं सचिव/सचिव न्यायिक, मुख्यालय, देहरादून/ सर्किट कोर्ट, पौड़ी

3.सदस्य न्यायिक, सर्किट कोर्ट, नैनीताल

↓

आयुक्त (2 मण्डल)

1.आयुक्त, गढवाल मण्डल

2.आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल

↓

जिलाधिकारी (13 जनपद)

↓

सबडिविजन (67)

↓

तहसील(110)

↓

उप तहसील(18)
↓
तहसीलदार (109)
↓
नायब तहसीसदार(146)
↓
भू-लेख निरीक्षक

1.राजस्व निरीक्षक (पर्वतीय)126

2.भूलेख निरीक्षक(मैदानी)34
↓
राजस्व उप निरीक्षक(1216)
↓
लेखपाल(428)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि : लेखापरीक्षा में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक -पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/16, 05/16 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तरः **01** रोकड़ बही की रख-रखाव न किया जाना (रु 794.70 लाख)

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः01- रोकड़ बही का रख - रखाव न किया जाना (रु 794.70 लाख)

प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के नियम 13 के अनुसार आहरण-वितरण अधिकारी को

(i.)रोकड बही form GAR-3 में रख-रखाव करना चाहिए।

(ii.) रोकड- बही में सभी धनराशियों के लेन-देन उनके प्रभावी होने पर तुरन्त उसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

इकाई की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि लेखा परीक्षा अवधि (अप्रैल 2015 से मार्च 2017) में रोकड़ -बही का रख-रखाव नही किया गया व इस दौरान रु 19959800+59510021= रु 794.70 लाख का लेन-देन प्रभावी हुआ।

इकाई को इस संबंध में सूचित किये जाने पर उत्तर दिया गया कि ई-पेमेंट विधि द्वारा भुगतान किये जाने के कारण रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्यों कि नियमानुसार रोकड़-बही का रख-रखाव किया जाना चाहिए।

रोकड़-बही का रख-रखाव न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या
IC/24/10-11	**1**	**1**
01/15-16	**-**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................................शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये : शून्य

2. सतत् अनियमिततायें: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री गिरीश चन्द्र गुणवन्त	आहरण वितरण अधिकारी	-	-
2.	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	आहरण वितरण अधिकारी	-	-

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र